"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 जनवरी 2011—पौष 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्रमांक 442/8/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-01-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 3 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) में संलग्न अनुसूची में कॉलम क्रमांक (2) के सरल क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची
[धारा 4 (1) देखिए]

स. क्र. (1)	समिति का नाम (2)	सदस्यों की संख्या (3)
	7. नारायणपुर	10
	8. बीजापुर	10

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्रमांक 442/8/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 03 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2011)

THE CHHATTISGARH ZILA YOJANA SAMITI (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule appended to the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995), after serial number 6. of column number (2) the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

SCHEDULE
[See Section 4 (1)]

Sr. No. (1)	Name of Committee (2)	No. of Members (3)
	7. Narayanpur	10
	8. Bijapur	10

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.